भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **2684**

04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सिद्ध चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना

2684. श्री आर.के. सिंह पटेल:
सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सिद्ध चिकित्सा पद्धति को समुचित रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सिद्ध डॉक्टरों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;
(ङ) क्या सरकार की करूर तमिलनाडु में सिद्ध अस्पताल के निर्माण की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और
(च) विभिन्न शाखाओं/योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी हां। आयुष मंत्रालय ने देश में सिद्ध चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) और राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई की स्थापना की है। आयुष मंत्रालय हर साल सीसीआरएस और एनआईएस के माध्यम से 'सिद्ध दिवस' मनाता है, जिसका उद्देश्य सिद्ध चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना है और सिद्ध बिरादरी, गैर-सिद्ध वैज्ञानिकों और जनता में उसका प्रसार करने के लिए वैज्ञानिक सम्मेलनों/कार्यशालाओं, स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता अभियानों, छात्रों के बीच वैज्ञानिक प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन करना है।

राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस) सिद्ध में यूजी पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित करके और संबद्ध अस्पताल में रिपोर्ट करने वाले रोगियों को सिद्ध चिकित्सा पद्धति में उपचार प्रदान करके सिद्ध चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रहा है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए संस्थान आरोग्य मेला आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेता है। संस्थान सिद्ध चिकित्सा पद्धति के प्रभावी प्रचार के लिए सोशल मीडिया और वर्चुअल मीडिया का भी उपयोग करता है।

केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), सिद्ध चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान करने के लिए एक शीर्ष निकाय है और अपने नौ (9) परिधीय संस्थानों/इकाइयों के माध्यम से विभिन्न रोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करता है। सीसीआरएस के माध्यम से सिद्ध चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- सीसीआरएस का अनुसंधान कार्यक्रम मुख्य रूप से सिद्ध दवाओं की सुरक्षा और प्रभावकारिता अध्ययन, मौलिक सिद्धांतों के सत्यापन, दवा मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण, औषधीय पौधों के सर्वेक्षण और खेती और साहित्यिक अनुसंधान सहित नैदानिक अनुसंधान पर केंद्रित है।
- गैर-संचारी रोग ओपीडी, जरा-चिकित्सा ओपीडी, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल ओपीडी, वरम, थोक्कानम, बोन सेटिंग और योगम ओपीडी के माध्यम से जनता को विशेष उपचार प्रदान किए जा रहे हैं।
- जनता के हितार्थ सभी संस्थानों/इकाइयों में विभिन्न रोगों से संबंधित स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
- *सिद्धर कायाकल्पम, सिद्धर योगम*, बाहरी उपचार जैसे वरम, *थोक्कानम* और पुरा मरुथुवम, आंतरिक दवाओं के साथ-साथ असाध्य रोगों की रोकथाम, प्रबंधन और उपचार के लिए सिद्ध पद्धति की ताकत हैं।
- सिद्ध की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग, कोविड-19 के लिए निवारक और प्रबंधन के दृष्टिकोण से किया गया है। सिद्ध दवाओं का उपयोग कोविड-19 की रोकथाम और उपचार में किया जा रहा है। सीसीआरएस ने उपर्युक्त सिद्ध फार्मूलेशनों के साथ विभिन्न अध्ययन किए हैं।
- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में एकीकृत सिद्ध कैंसर ओपीडी सफलतापूर्वक कार्य कर रही है जो सिद्ध पद्धति के माध्यम से कैंसर रोगियों की उपशामक देखभाल में सहायता कर रही है।
- 3 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में, सीसीआरएस के 7 संस्थानों/इकाइयों के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम (एसआरपी) चलाया गया है। इसमें तेरह गांवों को शामिल किया गया है।
- आरोग्य मेलों/प्रदर्शनी में विभिन्न रोग स्थितियों एवं सिद्ध चिकित्सा पद्धति से उनके प्रबंधन से संबंधित आईईसी सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
- सीसीआरएस ने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रिंट मीडिया, ऑडियो जिंगल्स और वीडियो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के माध्यम से जनता के बीच सिद्ध पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- सीसीआरएस जनता के लाभ के लिए सिद्ध चिकित्सा पद्धति के प्रसार हेतु सक्रिय रूप से विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है।

(ग): जी नहीं। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों (सीसीआरएस और एनआईएस) में सिद्ध चिकित्सकों के अधिकांश पद भरे हुए हैं।

(घ): इस मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, सीसीआरएस और एनआईएस को आबंटित निधियां संलग्नक-I में दी गई हैं।

(ङ): ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(च): इस मंत्रालय की राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के अंतर्गत सिद्ध सहित आयुष चिकित्सा पद्धति के संवर्धन के लिए तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्नक-II में दिया गया है।

*****

संलग्नक–**I**

इस मंत्रालय द्वारा सीसीआरएस और एनआईएस को आबंटित निधियां:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष			(राशि करोड़ में)
		सीसीआरएस	एनआईएस	कुल
1	2014-15	24.01	23.00	47.01
2	2015-16	19.6	26.00	45.60
3	2016-17	17.35	25.00	42.35
4	2017-18	24.38	28.84	53.22
5	2018-19	29.94	35.50	65.44
6	2019-20	31.96	50.56	82.52
7	2020-21	34.99	47.58	82.57
8	2021-22	38.82	44.76	83.58
9	2022-23	46.88	59.01	105.89
10	2023-24	51.36	94.94	146.30
	कुल	**319.29**	**434.99**	**754.28**

संलग्नक–II

सिद्ध सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन के लिए तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को इस मंत्रालय की राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का ब्यौरा:

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा (रुपए करोड़ में)
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	22.22
2	आंध्र प्रदेश	75.78
3	अरुणाचल प्रदेश	38.32
4	असम	104.4
5	बिहार	69.31
6	चंडीगढ़	15.33
7	छत्तीसगढ़	85.9
8	दादर एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	4.84
9	दिल्ली	7.26
10	गोवा	16.97
11	गुजरात	105.43
12	हरियाणा	110.79
13	हिमाचल प्रदेश	113.38
14	जम्मू-कश्मीर	143.19
15	झारखंड	112.57
16	कर्नाटक	154.21
17	केरल	165.45
18	लद्दाख।	2.6
19	लक्षद्वीप	13.89
20	मध्य प्रदेश	268.93
21	महाराष्ट्र	84.4
22	मणिपुर	82.28
23	मेघालय	40.54
24	मिजोरम	37.76
25	नागालैंड	68.81
26	ओडिशा	87.1
27	पुदुचेरी	21.7
28	पंजाब	50.92
29	राजस्थान	230.51
30	सिक्किम	34.05
31	तमिलनाडु	145.71
32	तेलंगाना	85.64
33	त्रिपुरा	43.48
34	उत्तर प्रदेश	776.85
35	उत्तराखण्ड	117.3
36	पश्चिम बंगाल	129.13
	कुल	**3666.95**